



ग्राम माधोनावास पंचायत आडवासी तहसील खंडेली  
जिल्ला सीमा राधान स्थान है। इसी ही खंडेली  
प्राची के पिता के नाम <sup>सुंयादास</sup> दत्त है। प्राची के  
पिता का नाम पुरानी जमाबंदी में सुंयादास  
ही है तथा दस्तावेजों में भी सुंयादास अंकित है।  
अतः "सुंयादास" के स्थान पर "सुंयादास"  
प्राची के पिता उरुस्त किया जावे।

इसने वक्त कमील प्राची को सुनी जाती।  
पंचायती व पंचायती पर उपलब्ध राधान  
रिकार्ड का अपलोकन किया गया। राधान  
रिकार्ड जमाबंदी सन 2074-2077 में प्राची के  
पिता का नाम सुंयादास पुत्र सुंयादास दत्त  
है। लेकिन जमाबंदी 2074-2077 ख० न० 446,  
447 इन ग्राम आडवासी में प्राची के पिता का नाम  
सुंयादास अंकित है। प्राची के पिता के मृत्यु प्रमाण पर  
ग्राम पंचायत आडवासी द्वारा जारी प्रमाण पत्र में प्राची  
के पिता का नाम सुंयादास ही दर्ज है अतः  
प्राची के कथन सही होने से प्राची को  
पक्ष अन्तर्गत धारा 13(1) P.A.E.T स्वीकार  
किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है  
कि:-

आदेश

श्री श्री सुंयादास ख० न० 204, 205, 207, 208,  
208/302, 209, 210, 225, 226 क्रि. - 9 कुलकर्णी

*(Signature)*

<p>हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए</p>
---	---

3.30 ई० तन ग्राम माधोबाबास पठ एणभादकाडी  
 तदमीम खण्डेला के बापस रिफरि में प्राप्ती  
 के पिता का नाम शूधादास के स्थान पर  
 शूधादास दुम्तर मित्रा आषी पालन) हुत  
 तदमीमदाए खण्डेला के तदवीर जारी हो।  
 पञ्जली केवल श्रुपाए एमेर नम्बर ५  
 कम हो बाड लकमीय दाखीय दम्तर हो



*(Signature)*  
 (रुपनीत सिंह)  
 उपकारड अतिरिक्त  
 खण्डेला (सिपाय)